चतुर्दश माला, खंड 17, अंक 1

गुरुवार, 16 फरवरी, 2006
27 माघ, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc No. 60
Dated 2 Aug 2007

(खण्ड 17 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 17, सातवां सत्र, 2006/1927 (शक)
अंक 1, गुरुवार, 16 फरवरी, 2006/27 माघ, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
चौदहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची	(i-x)
लोक सभा के पदाधिकारी	(xi)
मंत्रिपरिषद्	(xiii-xvi)
राष्ट्रगान	1
सदस्यों द्वारा शपथग्रहण	1
राष्ट्रपति का अभिभाषण	1-20
मंत्रियों का परिचय	20-21
निधन संबंधी उल्लेख	21-25
सभापटल पर रखे गए पत्र	25-26

चौदहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अंगड़ि, श्री सुरेश (बेलगाम)

अंतुले, श्री ए.आर. (कुलाबा)

अंसारी, श्री फुरकान (गोड्डा)

अग्रवाल, डा. धीरेंद्र (चतरा)

अजगल्ले, श्री गुहाराम (सारंगढ)

अजनाला, डा. रतन सिंह (तरनतारन)

अजय कुमार, श्री एस. (ओट्टापलम)

अटवाल, श्री चरणजीत सिंह (फिल्लौर)

अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा (बुलढाना)

अतिथन, श्री धनुषकोडी आर. (तिरूनेलवेली)

अनंत कुमार, श्री (बंगलौर दक्षिण)

अनसारी, श्री अफजाल (गाजीपुर)

अप्पादुरई, श्री एम. (तेनकासी)

अबदुल्लाकुट्टी, श्री (कन्नानौर)

अब्दुल्ला, श्री उमर (श्रीनगर)

अम्बरीश, श्री (मांडया)

अय्यर, श्री मणिशंकर (मयिलादुतुरई)

अर्गल, श्री अशोक (मुरैना)

अहमद, डा. शकील (मधुबनी)

अहमद, श्री अतीक (फूलपुर)

अहमद, श्री ई. (पोन्नानी)

अहीर, श्री हंसराज जी. (चन्द्रपुर)

आचार्य, श्री प्रसन्न (सम्बलपुर)

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजमी, श्री इलियास (शाहाबाद)

आठवले, श्री रामदास (पंढरपुर)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)

आदिकेसवुलु, श्री डी.के. (चित्तूर)

आदित्यनाथ, योगी (गोरखपुर)

आरुन रशीद, श्री जे.एम. (पेरियाकुलम)

इंग्ती, श्री बिरेन (स्वशासी जिला - असम)

इलेंगोवन, श्री ई.वी.के.एस. (गोबिचेट्टिपालयम)

अरांव, डा. रामेश्वर (लोहरदगा)

ओराम, श्री जुएल (सुन्दरगढ़)

ओला, श्री शीश राम (झुंझुनू)

ओवेसी, श्री असादूद्दीन (हैदराबाद)

ओसमानी, श्री ए.एफ.जी. (बारपेटा)

कटारा, श्री बाबूभाई के. (दोहद)

कथीरिया, डा. वल्लभभाई (राजकोट)

कनोडीया, श्री महेश (पाटन)

कमलनाथ, श्री (छिंदवाड़ा)

करूणाकरन, श्री पी. (कासरगोड)

कलमाडी, श्री सुरेश (पुणे)

कश्यप, श्री बलीराम (बस्तर)

कस्वां, श्री राम सिंह (चुरू)

कादर मोहिदीन, प्रो. के.एम. (वेल्लौर)

कामत, श्री गुरूदास (मुम्बई उत्तर-पूर्व)

किन्डिया, श्री पी.आर. (शिलांग)

कुन्नुर, श्री मंजुनाथ (धारवाड़ दक्षिण)

कुप्पुसामी, श्री सी. (मद्रास उत्तर)

कुमार, श्रीमती मीरा (सासाराम)

कुमारी, सैलजा (अम्बाला)

कुरुप, श्री सुरेश (कोट्टायम)

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह (मण्डला)

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण (खजुराहो)

कृपलानी, श्री श्रीचन्द (चित्तौड़गढ़)

कृष्ण, श्री विजय (बाढ़)

कृष्णदास, श्री एन.एन. (पालघाट)

कृष्णन, डा. सी. (पोल्लाची)

कृष्णास्वामी, श्री ए. (श्रीपेरुम्बुदूर)

केरकेटा, श्रीमती सुशीला (खूंटी)

कोन्यक, श्री डब्ल्यू. वांग्यू (नागालैण्ड)

कोया, डा. पी.पी. (लक्षद्वीप)

कोरी, श्री राधेश्याम (घाटमपुर)

कोली, श्री रामस्वरूप (बयाना)

कौर, श्रीमती परनीत (पटियाला)

कौशल, श्री रघुवीर सिंह (कोटा)

खंडूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र (गढ़वाल)

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार (बेतूल)

खन्ना, श्री अविनाश राय (होशियारपुर)

खन्ना, श्री विनोद (गुरदासपुर)

खां, श्री सुनील (दुर्गापुर)

खारवेनथन, श्री एस.के. (पलानी)

खैरे, श्री चंद्रकांत (औरंगाबाद, महाराष्ट्र)

गंगवार, श्री संतोष (बरेली)

गढ़वी, श्री पी.एस. (कच्छ)

गणेशन, श्री एल. (तिरुचिरापल्ली)

गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर (अहमदनगर)

गद्दीगउडर, श्री पी.सी. (बागलकोट)

गमांग, श्री गिरिधर (कोरापुट)

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव (वाशिम)

गांधी, श्री राहुल (अमेठी)

गांधी, श्रीमती मेनका (पीलीभीत)

गांधी, श्रीमती सोनिया (रायबरेली)

गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव (मुम्बई, उत्तर-मध्य)

गाव, श्री तापिर (अरुणाचल पूर्व)

गावित, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)

गिल, श्री आत्मा सिंह (सिरसा)

गीते, श्री अनंत गंगाराम (रत्नागिरि)

गुढ़े, श्री अनंत (अमरावती)

गुप्त, श्री श्यामा चरण (बांदा)

गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर (भटिंडा)

गेहलोत, श्री थावरचन्द (शाजापुर)

गोगोई, श्री दीप (कलियाबोर)

गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश (हापुड़)

गोविन्दा, श्री (मुम्बई उत्तर)

गोहेन, श्री राजेन (नौगांव)

गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द (मंगलोर)

चक्रवर्ती, डा. सुजान (जादवपुर)

चक्रवर्ती, श्री अजय (बसीरहाट)

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश (हावड़ा)

चटर्जी, श्री सांताश्री (सेरमपुर)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)

चन्द्र कुमार, प्रो. (कांगड़ा)

चन्द्रप्पन, श्री सी.के. (त्रिचूर)

चन्द्रशेखर, श्री (बलिया, उत्तर प्रदेश)

चर्चील, श्री अलीमाऊ (मारमुगाओ)

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र (मालेगांव)

चारेनामै, श्री मणि (बाहरी मणिपुर)

चालिहा, श्री किरिप (गुवाहाटी)

चावड़ा, श्री हरिसिंह (बनासकांठा)

चित्तन, श्री एन.एस.वी. (डिंडीगुल)

चिदम्बरम, श्री पी. (शिवगंगा)

चिन्ता मोहन, डा. (तिरुपति)

चौधरी, डा. तुषार अमर सिंह (मांडवी)

चौधरी, श्री अधीर (बरहामपुर, पश्चिमी बंगाल)

चौधरी, श्री ए.बी.ए. गानी खां (मालदा)

चौधरी, श्री निखिल कुमार (कटिहार)

चौधरी, श्री पंकज (महाराजगंज, उत्तर प्रदेश)

चौधरी, श्री बंसगोपाल (आसनसोल)

चौधरी, श्रीमती अनुराधा (कैराना)

चौधरी, श्रीमती रेनुका (खम्माम)

चौबे, श्री लाल मुनी (बक्सर)

चौरे, श्री बापू हरी (धुले)

चौहान, श्री नंद कुमार सिंह (खंडवा)

चौहान, श्री शिवराज सिंह (विदिशा)

जगदीशन, श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी (तिरुचेन्गोड़े)

जगन्नाथ, डा. एम. (नगर कुरनूल)

जटिया, डा. सत्यनारायण (उज्जैन)

जय प्रकाश, श्री (मोहनलाल गंज)

जय प्रकाश, श्री (हिसार)

जयाप्रदा, श्रीमती (रामपुर)

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर)

जार्ज, श्री के. फ्रांसिस (इदुक्की)

जालप्पा, श्री आर.एल. (चिकबलपुर)

जावमा, श्री वनलाल (मिजोरम)

जाहेदी, श्री महबूब (कटवा)

जिन्दल, श्री नवीन (कुरुक्षेत्र)

जीगजीणगी, श्री रमेश चंदप्पा (चिक्कोडी)

जेना, श्री मोहन (जाजपुर)

जैन, श्री पुष्प (पाली)

जोगी, श्री अजीत (महासमुन्द)

जोगैया, श्री हरि राम (नरसापुर)

जोशी, श्री कैलाश (भोपाल)

जोशी, श्री प्रहलाद (धारवाड़ उत्तर)

झा, श्री रघुनाथ (बेतिया)

टाइटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी. (वडोदरा)

ठुम्मर, श्री वी.के. (अमरेली)

डांगावास, श्री भंवर सिंह (नागौर)

डेलकर, श्री मोहन एस. (दादरा और नागर हवेली)

डोम, डा. रामचन्द्र (बीरभूम)

ढिल्लों, श्री शरनजीत सिंह (लुधियाना)

ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह (संगरूर)

तंगबालु, श्री के.वी. (सेलम)

तस्लीमुद्दीन, श्री (किशनगंज)

तीरथ, श्रीमती कृष्णा (करोलबाग)

तोपदार, श्री तरित बरण (बैरकपुर)

त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि (रीवा)

त्रिपाठी, श्री बृज किशोर (पुरी)

थामस, श्री पी.सी. (मुवत्तुपुजा)

थुपस्तन, श्री छेवांग (लद्दाख)

दत्त, श्रीमती प्रिया (मुम्बई उत्तर-पश्चिम)

दरबार, श्री छत्तर सिंह (धार)

दास, श्री अलकेष (नवद्वीप)

दास, श्री खगेन (त्रिपुरा पश्चिम)

दासगुप्त, श्री गुरूदास (पंसकुरा)

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन (रायगंज)

दिलेर, श्री किशन लाल (हाथरस)

दीक्षित, श्री सन्दीप (पूर्वी दिल्ली)

दूबे, श्री चन्द्र शेखर (धनबाद)

देव, श्री बिक्रम केशरी (कालाहांडी)

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र एस. (पार्वतीपुरम)

देव, श्री संतोष मोहन (सिल्चर)

देवरा, श्री मिलिन्द (मुंबई-दक्षिण)

देवेगौडा, श्री एच.डी. (हसन)

देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र (शोलापुर)

धनराजू, डा. के. (टिंडिवनाम)

धर्मेन्द्र, श्री (बीकानेर)

धारावत, श्री रविन्दर नाइक, (वारंगल)

धोत्रे, श्री संजय (अकोला)

नन्दी, श्री अमिताभ (दमदम)

नम्बाडन, श्री लोनाप्पन (मुकुन्दपुरम)

नरबुला, श्री डी. (दार्जिलिंग)

नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश (उस्मानाबाद)

नरेन्द्र, श्री ए. (मेडक)

नाईक, श्री श्रीपाद येसो (पणजी)

नागपाल, श्री हरीश (अमरोहा)

नायक, श्री अनन्त (क्योंझर)

नायक, श्री ए. वेंकटेश (रायचूर)

नायक, श्रीमती अर्चना (केन्द्रपाड़ा)

नायडु, श्री कोंडापल्ली पैडीथल्ली (बैब्बिली)

निखाल, कुमार, श्री (औरंगाबाद, बिहार)

निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर (हिन्दुपुर)

निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद (फतेहपुर)

निहाल चन्द, श्री (श्रीगंगानगर)

नीतीश कुमार, श्री (नालन्दा)

पंडा, श्री ब्रह्मानन्द (जगतसिंहपुर)

पटेल, श्री किसनभाई वी. (बलसाड़)

पटेल, श्री जीवाभई ए. (मेहसाना)

पटेल, श्री दाह्याभाई वल्लभभाई (दमण और दीव)

पटेल, श्री दिनशा (कैरा)

पटेल, श्री सोमाभाई जी. (सुरेन्द्र नगर)

पटेल, श्री हरिलाल माधवजी भाई (पोरबंदर)

पटैरिया, श्रीमती नीता (सिवनी)

पानाबाका लक्ष्मी, श्रीमती (नेल्लौर)

परस्ते, श्री दलपत सिंह (शहडोल)

परांजपे, श्री प्रकाश (ठाणे)

पलनिसामी, श्री के.सी. (करूर)

पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस. (तंजावूर)

पवार, श्री शरद (बारामती)

पटले, श्री शिशुपाल (भन्डारा)

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)

पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा आर. (बीजापुर)

पाटिल, श्री डी.बी. (नांदेड़)

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड़ (बीड)

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब (जालना)

पाटील, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)

पाटील, श्री प्रतीक पी. (सांगली)

पाटील, श्री लक्ष्मणराव (सतारा)

पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब (कराड)

पाटील, श्रीमती रूपाताई डी. (लातूर)

पाटील, श्रीमती सूर्यकांता (हिंगोली)

पाठक, श्री ब्रजेश (उन्नाव)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)

पाण्डा, श्री प्रबोध (मिदनापुर)

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण (मंदसौर)

पायलट, श्री सचिन (दौसा)

पॉल, डा. सिबैस्टियन (एर्णाकुलम)

पाल, श्री रूपचंद (हुगली)

पासवान, श्री रामचन्द्र (रोसड़ा)

पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)

पासवान, श्री वीरचन्द्र (नवादा)

पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)

पिंगले, श्री देविदास (नासिक)

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी. (बापतला)

पोटाई, श्री सोहन (कांकेर)

पोन्नुस्वामी, श्री ई. (चिदंबरम)

प्रधान, श्री अशोक (खुर्जा)

प्रधान, श्री धर्मेन्द्र (देवगढ़)

प्रधान, श्री प्रशान्त (कोंटई)

प्रभु, श्री आर. (नीलगिरि)

प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर (राजापुर)

प्रसाद, कुंवर जितिन (शाहजहांपुर)

प्रसाद, श्री लालमणि (बस्ती)

प्रसाद, श्री हरिकेवल (सेलमपुर)

फर्नान्डीज, श्री जार्ज (मुजफ्फरपुर)

फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ (दरभंगा)

फैन्थम, श्री फ्रांसिस (नामनिर्दिष्ट)

बंगरप्पा, श्री एस. (शिमोगा)

बंसल, श्री पवन कुमार (चण्डीगढ़)

बखला, श्री जोवाकिम (अलीपुरद्वार)

बघेल, प्रो. एस.पी. सिंह (जलेसर)

'बचदा', श्री बची सिंह रावत (अल्मोड़ा)

बब्बर, श्री राज (आगरा)

बर्क, डा. शफीकुर्रहमान (मुरादाबाद)

बर्मन, प्रो. बसुदेव (मथुरापुर)

बर्मन, श्री रनेन (बलूरघाट)

बर्मन, श्री हितेन (कूच बिहार)

बसु, श्री अनिल (आरामबाग)

बाउरी, कुमारी सुस्मिता (विष्णुपुर)

बादल, श्री सुखबीर सिंह (फरीदकोट)

"बाबा", श्री के.सी. सिंह (नैनीताल)

बारकू, श्री शिंगाडा दामोदर (दहानु)

बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई (जूनागढ़)

बालू, श्री टी.आर. (मद्रास दक्षिण)

बिश्नोई, श्री कुलदीप (भिवानी)

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह (जोधपुर)

बिसेन, श्री गौरीशंकर चतुर्भुज (बालाघाट)

बुधौलिया, श्री राजनरायन (हमीरपुर, उत्तर प्रदेश)

बेल्लारमिन, श्री ए.वी. (नागरकोइल)

बैठा, श्री कैलाश (बगहा)

बैनर्जी, कुमारी ममता (कोलकाता दक्षिण)

बैस, श्री रमेश (रायपुर)

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर (कोकराझार)

बोस, श्री सुब्रत (बारासाट)

भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)

भगोरा, श्री महावीर (सलूम्बर)

भड़ाना, श्री अवतार सिंह (फरीदाबाद)

भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)

भूरिया, श्री कांति लाल (झाबुआ)

मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)

मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा (कोल्हापुर)

मनोज, डा. के.एस. (अलेप्पी)

मरन्डी, श्री सुदाम (मयूरभंज)

मरांडी, श्री बाबू लाल (कोडरमा)

मल्लिकार्जुनैया, श्री एस. (तुमकुर)

मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार (दक्षिण दिल्ली)

मसूद, श्री रशीद (सहारनपुर)

महताब, श्री भर्तृहरि (कटक)

महतो, श्री टेक लाल (गिरिडीह)

महतो, श्री बीर सिंह (पुरुलिया)

महतो, श्री सुनिल कुमार (जमशेदपुर)

महरिया, श्री सुभाष (सीकर)

महाजन, श्री वाई.जी. (जलगांव)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)

महावीर प्रसाद, श्री (बांसगांव)

मांझी, श्री राजेश कुमार (गया)

माकन, श्री अजय (नई दिल्ली)

माझी, श्री परसुराम (नवरंगपुर)

माझी, श्री शंखलाल (अकबरपुर)

माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई (जामनगर)

माधवराज, श्रीमती मनोरमा (उदुपी)

मान, श्री जोरा सिंह (फिरोजपुर)

माने, श्रीमती निवेदिता (इचलकरांजी)

मारन, श्री दयानिधि (मद्रास मध्य)

माहेश्वरी, श्रीमती किरण (उदयपुर)

मिडियम, डा. बाबू राव (भद्राचलम)

मिस्त्री, श्री मधुसूदन (साबरकंठा)

मिश्रा, डा. राजेश (वाराणसी)

मीना, श्री नमोनारायन (सवाई माधोपुर)

मुन्शी राम, श्री (बिजनौर)

मुकीम, मो. (डुमरियागंज)

मुखर्जी, श्री प्रणब (जंगीपुर)

मुत्तेमवार, श्री विलास (नागपुर)

मुनियप्पा, श्री के.एच. (कोलार)

मुफ्ती, सुश्री महबूबा (अनंतनाग)

मुर्मू, श्री रूपचन्द (झाड़ग्राम)

मुर्मू, श्री हेमलाल (राजमहल)

मूर्ति, श्री ए.के. (चेंगलपट्टू)

मेघवाल, श्री कैलाश (टोंक)

मेहता, श्री आलोक कुमार (समस्तीपुर)

मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद (हजारीबाग)

मैन्या, डा. टोकचोम (आंतरिक मणिपुर)

मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड (नामनिर्दिष्ट)

मोघे, श्री कृष्णा मुरारी (खरगौन)

मो. ताहिर, श्री (सुल्तानपुर)

मोदी, श्री सुशील कुमार (भागलपुर)

मोल्लाह, श्री हन्नान (उलूबेरिया)

मोहन, श्री पी. (मदुरै)

मोहले, श्री पुन्नूलाल (बिलासपुर)

मोहिते, श्री सुबोध (रामटेक)

यादव, कुंवर देवेन्द्र सिंह (एटा)

यादव, डा. करण सिंह (अलवर)

यादव, प्रो. राम गोपाल (संभल)

यादव, श्री अखिलेश (कन्नौज)

यादव, श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु (गोपालगंज)

यादव, श्री उमाकान्त (मछलीशहर)

यादव, श्री एम. अंजनकुमार (सिकन्दराबाद)

यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह (चन्दौली)

यादव, श्री गिरिधारी (बांका)

यादव, श्री चन्द्रपाल सिंह (झांसी)

यादव, श्री जय प्रकाश नारायण (मुंगेर)

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)

यादव, श्री धर्मेन्द्र (मैनपुरी)

यादव, श्री पारसनाथ (जौनपुर)

यादव, श्री बालेश्वर (पडरौना)

यादव, श्री बाल चन्द्र (खलीलाबाद)

यादव, श्री मित्रसेन (फैजाबाद)

यादव, श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू (मधेपुरा)

यादव, श्री रमाकान्त (आजमगढ़)

यादव, श्री राम कृपाल (पटना)

यादव, श्री सीता राम (सीतामढ़ी)

यास्खी, श्री मधु गौड (निजामाबाद)

येरननायडु, श्री किन्जरपु (श्रीकाकुलम)

रंजन, श्रीमती रंजीत (सहरसा)

रघुपति, श्री एस. (पुडुकोट्टई)

रठवा, श्री नारनभाई (छोटा उदयपुर)

रवीन्द्रन, श्री पन्नियन (तिरूवनन्तपुरम)

राई, श्री नकुल दास (सिक्किम)

राजगोपाल, श्री एल. (विजयवाड़ा)

राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद (घोसी)

राजा, श्री ए. (पैरम्बलूर)

राजू, श्री एम.एम. पल्लम (काकीनाड़ा)

राजेन्तीरन, श्रीमती एम.एस.के. भवानी (रामनाथपुरम)

राजेन्द्र कुमार, श्री (हरिद्वार)

राजेन्द्रन, श्री पी. (क्विलोन)

राठौड़, श्री हरिभाऊ (यवतमाल)

राणा, श्री काशीराम (सूरत)

राणा, श्री गुरजीत सिंह (जालंधर)

राणा, श्री रविन्दर कुमार (खगड़िया)

राणा, श्री राजू (भावनगर)

राधाकृष्णन, श्री वरकला (चिरायिंकिल)

रानी, श्रीमती के. (रासीपुरम)

रामकृष्णा, श्री बाडिगा (मछलीपत्तनम)

रामचन्द्रन, श्री जिन्जी एन. (वन्डावासी)

रामदास, प्रो. एम. (पांडिचेरी)

राव, श्री के.एस. (एलूरू)

राव, श्री के. चन्द्रशेखर (करीमनगर)

राव, श्री डी. विट्टल (महबूब नगर)

राव, श्री पी. चलपति (अनकापल्ली)

राव, श्री रायापति सांबासिवा (गुंटूर)

रावत, प्रो. रासा सिंह (अजमेर)

रावत, श्री अशोक कुमार (मिसरिख)

रावत, श्री कमला प्रसाद (बाराबंकी)

रावत, श्री धनसिंह (बांसवाड़ा)

रावले, श्री मोहन (मुम्बई दक्षिण-मध्य)

रिजीजू, श्री कीरेन (अरुणाचल पश्चिम)

रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा पूर्व)

रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव (परभनी)

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी (अनन्तपुर)

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन (विशाखापतनम)

रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन (नरसारावपेट)

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु (ओंगोले)

रेड्डी, श्री एस. जयपाल (मिरयालगुडा)

रेड्डी, श्री एस.पी.वाई. (नान्दयाल)

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी. (कुरनूल)

रेड्डी, श्री जी, करूणाकर (बेल्लारी)

रेड्डी, श्री मधुसूदन (आदिलाबाद)

रेड्डी, श्री वाई. एस. विवेकानन्द (कुडप्पा)

रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर (नालगौंडा)

लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारु (जालौर)

'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह (बेगूसराय)

लालू प्रसाद, श्री (छपरा)

लाहिरी, श्री समिक (डायमंड हार्बर)

लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह (रोपड़)

वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र (मंगलदोई)

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (कैसरगंज)

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह (जालौन)

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास (धन्धुका)

वर्मा, श्री रवि प्रकाश (खीरी)

वर्मा, श्री राजेश (सीतापुर)

वर्मा, श्रीमती ऊषा (हरदोई)

वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी (तेनाली)

वसावा, श्री मनसुखभाई डी. (भरूच)

वाघमारे, श्री सुरेश (वर्धा)

वाघेला, श्री शंकर सिंह (कपड़वंज)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)

विजयन, श्री ए.के.एस. (नागापट्टिनम)

विजयशंकर, श्री सी.एच. (मैसूर)

विनोद कुमार, श्री बी. (हनमकोंडा)

विरुपाक्षप्पा, श्री के. (कोप्पल)

वीरेन्द्र कुमार, श्री (सागर)

वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी. (कालीकट)

वुन्डावल्ली, श्री अरूण कुमार (राजामुंदरी)

वेंकटपति, श्री के. (कुड्डालोर)

वेंकटस्वामी, श्री जी. (पेद्दापल्ली)

वेणुगोपाल, श्री डी. (तिरूपत्तूर)

वेलु, श्री आर. (अर्कोनम)

शर्मा, डा. अरविन्द (करनाल)

शर्मा, डा. अरूण कुमार (लखीमपुर)

शर्मा, श्री मदन लाल (जम्मू)

शहाबुद्दीन, डा. मो. (सिवान)

शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम (शिमला)

शाक्य, श्री रघुराज सिंह (इटावा)

शाह, ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)

शाहिद, मोहम्मद (मेरठ)

शाहीन, श्री अब्दुल रशीद (बारामूला)

शिवनकर, प्रो. महादेवराव (चिमूर)

शिवन्ना, श्री एम. (चामराजनगर)

शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील (खेड़)

शीरमेश, श्रीमती तेजस्विनी (कनकपुरा)

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन (करीमगंज)

शुक्ला, श्रीमती करूणा (जांजगीर)

शेरवानी, श्री सलीम (बदायूं)

शैलेन्द्र कुमार, श्री (चायल)

श्रीकांतप्पा, श्री डी.सी. (चिकमगलूर)

संगलिअना, डा. एच.टी. (बंगलौर उत्तर)

सईदा, श्रीमती रूबाब (बहराइच)

सज्जन कुमार, श्री (बाहरी दिल्ली)

सतीदेवी, श्रीमती पी. (बडागरा)

सर, श्री निखिलानन्द (बर्दवान)

सरडगी, श्री इकबाल अहमद (गुलबर्गा)

सरोज, श्री तूफानी (सैदपुर)

सरोज, श्री दरोगा प्रसाद (लालगंज)

सत्पथी, श्री तथागत (ढेंकानाल)

सत्यनारायण, श्री सर्वे (सिद्दीपेट)

सलीम, मोहम्मद (कोलकाता उत्तर-पूर्व)

सहाय, श्री सुबोध कांत (रांची)

सांगवान, श्री किशन सिंह (सोनीपत)

साई प्रताप, श्री ए. (राजमपेट)

साय, श्री नन्द कुमार (सरगुजा)

साय, श्री विष्णु देव (रायगढ़)

साहु, श्री चंद्रशेखर (बरहामपुर - उड़ीसा)

साहू, श्री ताराचंद (दुर्ग)

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव (गुना)

सिंह, कुंवर मानवेन्द्र (मथुरा)

सिंह, कुंवर सर्व राज (आंवला)

सिंह, चौधरी लाल (उधमपुर)

सिंह, चौधरी विजेन्द्र (अलीगढ़)

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद (वैशाली)

सिंह, डा. राम लखन (भिण्ड)

सिंह, राव इन्द्रजीत (महेन्द्रगढ़)

सिंह, श्री अक्षय प्रताप (प्रतापगढ़)

सिंह, डा. अखिलेश प्रसाद (मोतिहारी)

सिंह, श्री अजित (बागपत)

सिंह, श्री अजीत कुमार (बिक्रमगंज)

सिंह, श्री उदय (पूर्णिया)

सिंह, श्री कल्याण (बुलन्दशहर)

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन (गोंडा)

सिंह, श्री गणेश (सतना)

सिंह, श्री गणेश प्रसाद (जहानाबाद)

सिंह, श्री चन्द्रभान (दमोह)

सिंह, श्री चन्द्रभूषण (फरुखाबाद)

सिंह, श्री दुष्यंत (झालावाड़)

सिंह, श्री प्रभुनाथ (महाराजगंज, बिहार)

सिंह, श्री बृजभूषण शरण (बलरामपुर)

सिंह, श्री मानवेन्द्र (बाड़मेर)

सिंह, श्री मोहन (देवरिया)

सिंह, श्री राकेश (जबलपुर)

सिंह, श्री रेवती रमन (इलाहाबाद)

सिंह, श्री लक्ष्मण (राजगढ़)

सिंह, श्री विजयेन्द्र पाल (भीलवाड़ा)

सिंह, श्री विश्वेन्द्र (भरतपुर)

सिंह, श्री सरताज (होशंगाबाद)

सिंह, श्री सीताराम (शिवहर)

सिंह, श्री सुग्रीव (फूलबनी)

सिंह, श्री सूरज (बलिया, बिहार)

सिंह, श्रीमती कान्ति (आरा)

सिंह, श्रीमती प्रतिभा (मंडी)

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी (बोलनगीर)

सिकदर, श्रीमती ज्योतिर्मयी (कृष्णा नगर)

सिद्‌दीश्वर, श्री जी.एम. (दावनगेरे)

सिद्धू, श्री नवजोत सिंह (अमृतसर)

सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन (शिवकाशी)

सिब्बल, श्री कपिल (चांदनी चौक)

सील, श्री सुधांशु (कोलकाता उत्तर-पश्चिम)

सुगावनम, श्री ई.जी. (कृष्णागिरि)

सुजाता, श्रीमती सी.एस. (मवेलीकारा)

सुब्बा, श्री मणी कुमार (तेजपुर)

सुब्बारायण, श्री के. (कोयम्बटूर)

सुमन, श्री रामजीलाल (फिरोजाबाद)

सुम्बरूई, श्री बागुन (सिंहभूम)

सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा (अडूर)

सूर्यवंशी, श्री नरसिंहराव एच. (बीदर)

सेठ, श्री लक्ष्मण (तामलुक)

सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)

सेनथिल, डा. आर. (धर्मपुरी)

सेन, श्री मिनाती (जलपाईगुड़ी)

सेलवी, श्रीमती वी. राधिका (तिरूचेन्दूर)

सोनोवाल, श्री सर्वानन्द (डिब्रुगढ़)

सोरेन, श्री शिबु (दुमका)

सोलंकी, श्री भरतसिंह माधवसिंह (आनन्द)

सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह (गोधरा)

स्वाईं, श्री खारबेल (बालासोर)

स्वाईं, श्री हरिहर (आस्का)

हनुमनथप्पा, श्री एन.वाई. (चित्रदुर्ग)

हमजा, श्री टी.के. (मंजेरी)

हर्ष कुमार, श्री जी.वी. (अमलापुरम)

हसन, श्री मुनव्वर (मुजफ्फरनगर)

हान्डिक, श्री विजय (जोरहाट)

हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह (रोहतक)

हुसैन, श्री अनवर (धूबरी)

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान (मुर्शिदाबाद)

हेगड़े, श्री अनंत कुमार (कनारा)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

मंत्रिपरिषद्

मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री

डा. मनमोहन सिंह	प्रधानमंत्री तथा उन मंत्रालयों/विभागों के भी प्रभारी जो विनिर्दिष्टतया किसी अन्य मंत्री को आबंटित नहीं किये गये हैं, जैसे: (i) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय; (ii) योजना मंत्रालय; (iii) परमाणु ऊर्जा विभाग; (iv) अंतरिक्ष विभाग; और (v) विदेश मंत्रालय
श्री प्रणब मुखर्जी	रक्षा मंत्री
श्री अर्जुन सिंह	मानव संसाधन विकास मंत्री
श्री शरद पवार	कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
श्री लालू प्रसाद	रेल मंत्री
श्री शिवराज वि. पाटील	गृह मंत्री
श्री ए.आर. अंतुले	अल्पसंख्यक मामले मंत्री
श्री सुशील कुमार शिंदे	विद्युत मंत्री
श्री राम विलास पासवान	रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री
श्री एस. जयपाल रेड्डी	शहरी विकास मंत्री
श्री शीश राम ओला	खान मंत्री
श्री पी. चिदम्बरम	वित्त मंत्री
श्री महावीर प्रसाद	लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री
श्री पी.आर. किन्डिया	जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री
श्री टी.आर. बालू	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
श्री शंकर सिंह वाघेला	वस्त्र मंत्री
श्री वायालार रवि	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री
श्री कमल नाथ	वाणिज्य और उद्योग मंत्री
श्री हंस राज भारद्वाज	विधि और न्याय मंत्री

श्री संतोष मोहन देव	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
प्रो. सैफुद्दीन सोज	जल संसाधन मंत्री
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	ग्रामीण विकास मंत्री
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री
श्री मणि शंकर अय्यर	पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री
श्रीमती मीरा कुमार	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
श्री मुरली देवरा	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
श्रीमती अम्बिका सोनी	पर्यटन और संस्कृति मंत्री
श्री के. चन्द्रशेखर राव	श्रम और रोजगार मंत्री
श्री शिबु सोरेन	कोयला मंत्री
श्री ए. राजा	पर्यावरण और वन मंत्री
श्री दयानिधि मारन	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
डा. अंबुमणि रामदास	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
श्री कपिल सिब्बल	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री
श्री प्रेमचंद गुप्ता	कंपनी कार्य मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री ऑस्कर फर्नांडिस	बिना विभाग के राज्य मंत्री
श्रीमती रेनुका चौधरी	महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री सुबोध कांत सहाय	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री विलास मुत्तेमवार	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री
कुमारी सैलजा	शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री प्रफुल पटेल	नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री जी.के. वासन	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री ई. अहमद	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सुरेश पचौरी	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री विजय हान्डिक	रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. दासरि नारायण राव	कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. शकील अहमद	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
राव इन्द्रजीत सिंह	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री नारनभाई रठवा	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री के.एच. मुनियप्पा	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एम.वी. राजशेखरन	योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री कांतिलाल भूरिया	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री माणिकराव होडल्या गावित	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री पृथ्वीराज चव्हाण	प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
श्री तस्लीमुद्दीन	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ए. नरेन्द्र	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री आर. वेलु	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस. रघुपति	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री के. वेंकटपति	विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन	वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती कान्ति सिंह	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री
श्री नमोनारायन मीना	पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री पवन कुमार बंसल	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री आनन्द शर्मा	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अजय माकन	शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री दिनशा पटेल	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एम.एम. पल्लम राजू	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी	खान मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. अखिलेश दास	इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अश्विनी कुमार	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री
श्री जयराम रमेश	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री
श्री चन्द्रशेखर साहू	श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

लोक सभा

गुरुवार, 16 फरवरी, 2006/27 माघ, 1927 (शक)

लोक सभा अपराह्न बारह बजकर बीस मिनट पर समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

अपराह्न 12.21 बजे

अध्यक्ष महोदय: महासचिव शपथ लेने के लिए माननीय सदस्य का नाम पुकारें।

सदस्य द्वारा शपथग्रहण

श्री प्रतीक प्रकाशबापू पाटील (सांगली)

अपराह्न 12.22 बजे

राष्ट्रपति का अभिभाषण *

महासचिव: मैं 16 फरवरी 2006 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष दिये गए राष्ट्रपति के अभिभाषण ** (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं।

माननीय सदस्यगण,

आप सबको मेरा अभिवादन। नए वर्ष के आगमन पर हम आशावादी हैं। अपने सामर्थ्य की ऊंचाइयों को छूता हुआ एक अरब की जनसंख्या वाला राष्ट्र उल्लास की अनुभूति देता है। यह अनुभूति सहजग्राह्य है। केवल आर्थिक विकास के आंकड़े या दुनिया द्वारा भारत में उपलब्ध अवसर के प्रति दिखाया गया उत्साह ही इस वेला को रोमांचक नहीं बनाते हैं। यह सच है कि एक देश के रूप में हम सब ने मिलकर अतीत के मतभेद भुलाने का निर्णय कर लिया है; कि हमने अपने राज्यतंत्र में उपचारक भावना पुनः उत्पन्न कर दी है; कि हम अपने समाज में सर्वसमावेशिता के बोध को वापस ले आए हैं और हमने अपनी अर्थव्यवस्था को उद्देश्यपरकता प्रदान की है।

हमारी अर्थव्यवस्था प्रगति पर है और हमारी जनता लगातार उन्नति कर रही है। 1999-2003 के दौरान लगभग 5.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष की अनुत्साही विकास दर के पश्चात् 2004-05 में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करके अर्थव्यवस्था में अब उछाल आया है और 2005-06 में इसमें 8.0 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने की संभावना है। यह संभवतः भविष्य में आने वाले अच्छे समय का पूर्व संकेत है। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि ऊर्जा के वैश्विक मूल्यों में तीव्र वृद्धि के बावजूद मुद्रास्फीति की दर साधारण स्तर पर ही रही है। आम आदमी के लिए और हमारे हर परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू वस्तुओं की कीमतें हैं। अतः यह अत्यंत संतोष का विषय है कि तेल के वैश्विक मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि होने के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने बहुत ही अच्छी प्रगति की है। मेरी सरकार के बुद्धिमत्तापूर्ण और विवेकशील आर्थिक प्रबंधन ने इसमें महत्वपूर्म योगदान दिया। उन लोगों के पुनर्जाग्रत आशावाद ने भी अपनी भूमिका निभाई है जिनकी रचनात्मक ऊर्जा को प्रस्फुटित होने का अवसर मिला है। यह आशावाद 29 प्रतिशत से अधिक की वर्तमान बचत दर और लगभग 31 प्रतिशत की निवेश दर में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है।

भारत पर, हमारे लोकतंत्र में और हमारी अर्थव्यवस्था में इतना अधिक विश्वास पहले कभी नहीं रहा है। हम अपने समाज की उस बहुलरूपी प्रकृति को पुनः लौटा पाए हैं, जो भारत की सहजवृत्ति रही है। हम असहिष्णुता के एक ऐसे खतरनाक रूझान, जिसने हमारे देश की जीवनी-शक्ति का ह्रास करना शुरू कर दिया था, को पलटने में तथा बहुलरूपता, सहिष्णुता एवं सह्रदयता को फिर से बहाल करने में सफल रहे हैं। राष्ट्र को विभाजित करने वाली चर्चाओं के स्थान पर हम ऐसी चर्चाओं को चलाने में सफल रहे हैं, जो लोगों की दैनिक जीवनचर्या को प्रभावित करती हैं। और जो आम आदमी से जुड़े मुद्दों से ताल्लुक रखती हैं। मन यह देखकर उत्साह से भर उठता है कि सरकार, मीडिया और नागरिक समाज में विकास के विकल्प, गरीबी उपशमन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आधारभूत सुविधाएं, अवसंरचना, लोगों को सशक्त बनाने और सीमान्त एवं कमजोर वर्गों की सहायता करने के संबंध में सक्रिय विचार-विमर्श चल रहा है। इस प्रकार की चर्चाएं हमारे लोकतंत्र की जीवनी-शक्ति हैं। यही विशेष परिवर्तन लाने के लिए इस सरकार को जनादेश मिला था, यह पूरा किया जा चुका है। आजादी के हमारे संघर्ष की

---

*राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण अंग्रेजी में दिया। अभिभाषण का हिन्दी पाठ उपराष्ट्रपति द्वारा पढ़ा गया।

**ग्रंथालय में भी रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 3670/2006.

सफलता का जश्न मनाने के लिए भारतीयों की नई पीढ़ी को प्रेरित करने हेतु मेरी सरकार अगले वर्ष भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रभावशाली योजनाएं बना रही है।

मेरी सरकार पांच स्तंभों की नींव पर सर्वसमावेशी विकास का एक नया वास्तुशिल्प गढ़ने में सफल रही है। ये हैं:-निर्धनों को आमदनी सुरक्षा प्रदान करने तथा ग्रामीण निर्धनता अंतर को पाटने के लिए एक ऐतिहासिक विधान, - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, बेहतर ग्रामीण अवसंरचना बनाने के लिए एक समयबद्ध योजना - भारत निर्माण, मूलभूत स्वास्थ्य की कमियों को दूर करने के लिए - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, शहरीकरण की एक क्रियाशील, कल्पनाशील, समावेशी और हितर्धितक प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए - जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन, और सर्वव्यापक मध्याह्न आहार कार्यक्रम के साथ एक मजबूत सर्वशिक्षा अभियान।

काम के अधिकार की गारंटी देने की दिशा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हमारे देश में एक नई शुरुआत को निर्दिष्ट करता है। आरंभ में 200 अल्प विकसित जिलों में लागू यह अधिनियम निर्धनों को एक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने का क्रांतिकारी सामर्थ्य रखता है। इससे परिसंपत्तियों का सृजन भी हो सकेगा। विश्व में यह पहली बार हो रहा है कि एक बृहद रोजगार कार्यक्रम इतने बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है और इसकी प्रगति के आकलन में संपूर्ण विश्व के विकास संबंधी प्रेक्षकों की दिलचस्पी होगी। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए केन्द्र, राज्य और स्थानीय सरकारों तथा पंचायती राज संस्थाओं को मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है। एक बृहद जल संरक्षण जन कार्यक्रम को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा।

हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत अवसंरचना प्रदान करने के लिए भारत निर्माण एक समयबद्ध योजना है। मेरी सरकार के इस अग्रणी कार्यक्रम के वर्ष 2009 तक लक्ष्य होंगे:-

- देश के प्रत्येक गांव में बिजली उपलब्ध कराना;
- 1000 और उससे अधिक की जनसंख्या वाली अथवा पहाड़ी एवं जनजातीय इलाकों में 500 की जनसंख्या वाली हर बस्ती में एक बारहमासी सड़क उपलब्ध कराना;
- हर बस्ती को पेयजल का एक सुरक्षित स्रोत उपलब्ध कराना;
- हर गांव में एक टेलिफोन उपलब्ध कराना;
- 1 करोड़ हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन करना;
- ग्रामीण निर्धनों के लिए 60 लाख मकानों का निर्माण करना।

चल रही स्कीमों और इस प्रयास में इस्तेमाल किए जा रहे बड़े अतिरिक्त निवेशों को आधार बनाते हुए 'भारत निर्माण' इस कार्यक्रम को समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह बनाकर इन उद्देश्यों की तत्काल प्राप्ति को इंगित करेगा। ग्रामीण अवसंरचना में ये समेकित निवेश ग्रामीण भारत की विकास क्षमता को बंधनमुक्त कर देंगे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।

हमारे लोगों को सार्वभौमिक आधारभूत स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने की मंशा से एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया है। स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार प्रासंगिक जिला स्तरीय योजनाओं के आधार पर यह मिशन स्वास्थ्य देखभाल को इस प्रकार सक्षम बनाएगा जिससे स्थानीय आवश्यकताएं पूरी होंगी। स्वास्थ्य देखभाल में किए जा रहे कार्य को यह सुरक्षित पेयजल, सफाई एवं पोषाहार जैसे अन्य क्षेत्रों में किए जा रहे पूरक प्रयासों से भी जोड़ेगा। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उन्नयन के साथ-साथ प्रथम चरण में हर जिले में दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को भारतीय जन-स्वास्थ्य मानकों द्वारा विनिर्दिष्ट स्तर तक उन्नत किया जाएगा।

आजादी के बाद हमारे शहरों के विकास के लिए जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन सबसे बड़ा प्रयास है। 63 शहरों में लागू यह मिशन शहरी अवसंरचना और शहरी निर्धनों को मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्रों में उनका समेकित विकास करेगा और नए निवेश को शासन सुधारों से जोड़ेगा। दिल्ली मेट्रो के सफल कार्यान्वयन ने कई अन्य शहरों में उन्नत शहरी परिवहन की मांग पैदा कर दी है। मुंबई मेंट्रो और बंगलौर मेट्रो के लिए योजनाएं विचार के अंतिम चरणों में हैं।

सर्वशिक्षा अभियान को सुदृढ़ बनाया गया है और इसे मध्याह्न आहार के सार्वजनीकरण कार्यक्रम से जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत अब 12 करोड़ बच्चे आते हैं। विद्यालयों में प्रवेश और उपस्थिति तथा बच्चों के पोषणस्तर पर इन पहलों का सकारात्मक प्रभाव होना चाहिए।

मेरी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सर्वसुलभता को बढ़ाने तथा उत्कृष्टता को सुनिश्चित करने के लिए कई अन्य कदम उठाए हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिकों और अल्पसंख्यक समुदायों के परिवारों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के उदार वित्तपोषण से इन वंचित वर्गों के शैक्षिक स्तर

को सुधारने में मदद मिलेगी। उच्च प्राथमिक स्तर पर कम साधन सम्पन्न लड़कियों के लिए निःशुल्क आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 21 राज्यों के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में 1000 से अधिक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थापित करने के लिए मेरी सरकार ने मंजूरी दे दी है।

माननीय सदस्यगण,

मेरी सरकार ने हमारे किसानों के कल्याण तथा हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। कृषि क्षेत्र में दिए जा रहे ऋण में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वैद्यनाथन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए दीर्घावधिक उपाय क्रियान्वित किए जा रहे हैं। केन्द्रीय एवं राज्य सरकारें अल्पावधिक ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना, जिसमें लगभग 14000 करोड़ रुपए का वित्तीय पैकेज शामिल है और जो सहकारी क्षेत्र में सुधारों से जुड़ा है, के लिए एक पुनरुद्धार पैकेज पर सहमत हो चुकी हैं। दीर्घावधिक सहकारी ऋण संरचना के लिए एक पुनरुद्धार पैकेज का अध्ययन किया जा रहा है। मेरी सरकार कृषि उपज के लिए एक साझा बाजार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि किसानों को बेहतर कीमत फार्म पर ही उपलब्ध हो। ऐसा करने के लिए मालगोदाम रसीदों को प्रक्राम्य लिखत बनाया जा रहा है; आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है; स्थानीय कृषि उपज विपणन अधिनियमों को संशोधित करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है और खाद्य आपूर्ति एवं भण्डारण शृंखला का विस्तार किया जा रहा है।

कृषि कार्यों में निहित जोखिमों से सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के प्रभाव क्षेत्र और दायरे को बढ़ा दिया गया है। मेरी सरकार वह सब कुछ करने के लिए कटिबद्ध है जो छोटे एवं सीमांत किसानों की आजीविका को सुरक्षित रखने के लिए करना संभव है। कृषि-जलवायु में भिन्नता और उसके परिणामस्वरूप देश में फलों और सब्जियों की विभिन्न किस्मों की पैदावार के बेहतर अवसरों पर विचार करते हुए, सरकार बागवानी के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। इस उद्देश्य से सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए 2005-06 के दौरान 2300 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से एक राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया है।

बेहतर जल प्रबंधन देश के कृषि उत्पादन की कुंजी है। ड्रिप, स्प्रिंकलर और फर्टिगेशन प्रणालियां अपनाकर जल उपयोग दक्षता में काफी सुधार किया जा सकता है। उन क्षेत्रों की जरूरतों को भी पूरा करने की आवश्यकता है जो अभी भी वर्षा पर आश्रित हैं। एक राष्ट्रीय वर्षापोषित क्षेत्र प्राधिकरण स्थापित किया जा रहा है जो इन क्षेत्रों में जल संसाधनों के प्रबंध के सभी आयामों का जायजा लेगा। सिंचाई के लिए भारत निर्माण के अंतर्गत लाई गई एक करोड़ हैक्टेयर भूमि के अतिरिक्त, मेरी सरकार ने प्रायद्वीपीय नदियों को आपस में जोड़ने का काम भी शुरू किया है और ऐसी दो परियोजनाओं पर कार्य आरंभ हो गया है।

मेरी सरकार एक राष्ट्रीय बायोटेक्नॉलोजी विनियामक प्राधिकरण गठित करने की प्रक्रिया में है जो जीएम फसलों तथा बीजों को जारी करने, उनका आयात करने तथा उनके जारी करने के बाद की मानीटरिंग के लिए शीर्ष निकाय होगा। जीएम बीजों का गुणवत्ता नियंत्रण एक महत्वपूर्ण विषय है और राज्य बीज जांच प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव है। जैव-ईंधन को बढ़ावा देने के लिए 2006-07 में एक राष्ट्रीय बायो-डीजल कार्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव है।

माननीय सदस्यगण,

आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने के लिए अवसंरचना में निवेश करना अत्यंत आवश्यक है। हमारी अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार विश्वस्तरीय अवसंरचना का विकास करने के लिए कटिबद्ध है ताकि प्रत्येक नागरिक गर्व महसूस कर सके। यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा, तथापि एक ऐसी नीति एवं विनियामक वातावरण तैयार करना भी आवश्यक है जो अवसंरचना में दीर्घावधिक निजी निवेश को आकर्षित करे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली अवसंरचना संबंधी समिति सक्रिय रूप से इस उद्देश्य की प्राप्ति में संलग्न है।

मेरी सरकार ने अवसंरचना क्षेत्रों की वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं को दीर्घावधिक ऋण-निधियां मुहैया कराने के लिए भारत अवसंरचना वित्त निगम लिमिटेड नामक एक विशेष प्रयोजन साधक संस्था गठित की है। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि ऐसी दीर्घ विकास अवधि के कारण अव्यवहार्य करार दी जाने वाली अवसंरचना परियोजनाएं वित्तीय बाजारों में दीर्घावधिक ऋण के अभाव में उपेक्षित नहीं रहेंगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। स्वर्णिम चतुर्भुज को चार लेन का बनाने का कार्य पूरा होने ही वाला है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का आगे और विकास करने के लिए अगले सात वर्षों में 1,75,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश वाली एक कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसमें अत्यधिक यातायात वाले अतिरिक्त 10,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाना और स्वर्णिम चतुर्भुज को छह लेन का बनाना शामिल है। सड़कों के लिए सरकारी-निजी साझेदारी को आसान बनाने

के लिए मेरी सरकार ने एक नए आदर्श रियायत करार को स्वीकृति दी है।

मेरी सरकार का इरादा भारत में विश्वस्तर के हवाई अड्डे बनाने का है। एक व्यापक नागर विमानन नीति तैयार की जा रही है। सरकारी-निजी साझेदारी के द्वारा दिल्ली और मुम्बई हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण और विस्तार की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। बंगलौर और हैदराबाद में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को स्वीकृति दे दी गई है। कोलकाता और चेन्नई हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण और विकास की योजनाएं बनाई जा रही हैं। अन्य क्षेत्रीय हवाई अड्डों के नियोजित विकास के लिए एक व्यापक योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

आर्थिक वृद्धि के लिए पत्तन अवसंरचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पत्तनों के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण के लिए बड़े पैमाने पर निजी निवेश आकर्षित करना अत्यंत आवश्यक है। मुख्य भारतीय पत्तनों पर सरकारी-निजी साझेदारी के माध्यम से निर्माण के लिए जगह आबंटित करने के कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए एक आदर्श रियायत करार प्रतिपादित किया जा रहा है।

निष्पादन क्षमता में आए प्रत्यक्ष सुधार से, हमारी रेल व्यवस्था एक बार फिर अत्यधिक गर्व का स्रोत बनी है। सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करके उच्च क्षमता वाले दो समर्पित माल कारिडोर - लुधियाना से सोननगर तक का पूर्वी कारिडोर और जवाहरलाल नेरू पत्तन न्यास से दादरी तक का पश्चिमी कारिडोर बनाने का निर्णय लिया है। इन परियोजनाओं पर प्रारंभिक कार्य एक वर्ष के अन्दर शुरू हो जाएगा। कंटेनरों द्वारा माल की ढुलाई की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि इस सेक्टर को, जिस पर सरकारी सेक्टर का एकाधिकार था, प्रतिस्पर्धा के लिए खोला जाएगा और निजी सेक्टर कंटेनर ट्रेनें चला सकेगा।

मेरी सरकार, देश में बिजली की स्थिति को सुधारने पर विशेष बल देती है। दाभोल विद्युत परियोजना को पुनर्जीवित किया जा रहा है और आशा है कि यह इस वर्ष विद्युत उत्पादन शुरू कर देगी। विद्युत मंत्रालय शुल्कदर आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के मार्फत 4000-4000 मेगावाट की क्षमता वाली पांच अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के संस्थापन को आसान बना रहा है, इनमें से आयातित कोयले पर आधारित तीन संयंत्र तटीय क्षेत्र में हैं और शेष दो खानोन्मुख क्षेत्रों में हैं। मांग-आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए ऐसी और विद्युत परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति हमारे सुधार कार्यक्रम की सफल गाथाओं में से एक है। प्रतिस्पर्धा के प्रभाववश दूरसंचार शुल्क दरें लगातार घटी हैं और आज हमारी शुल्क दरें विश्व में सबसे कम शुल्क दरों में आती हैं। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के दूरसंचार सेवा प्रदाता-भारत संचार निगम लिमिटेड एवं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा घोषित 'वन इंडिया प्लान' इस क्षेत्र में मील का पत्थर है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए आवृत्ति-मंडल की अपर्याप्त उपलब्धता की समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार में विद्यमान उपयोगकर्ताओं द्वारा आवृत्ति-मंडल को खाली कराने के लिए सरकार का एक प्रणाली लाने का प्रस्ताव है जिससे कि इसे समयबद्ध तरीके से वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जा सके। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि देश में इलैक्ट्रॉनिक और दूरसंचार हार्डवेयर के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाए। अर्ध-चालक विनिर्माण पद्धति को भारत में लाने तथा एक विनिर्माण केन्द्र बनाने के लिए नई पहल की जा रही है।

जून, 2005 में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम अधिसूचित किया गया। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि देश में निर्यातोन्मुख विनिर्माण और सेवाओं के तीव्र विकास को आसान बनाने के लिए अपेक्षित अवसंरचना और समुचित ढांचा सृजित किया जाए। समर्पित अनिवासी भारतीयों के समूह द्वारा रखे गए विचारों के आधार पर सरकार ने पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रो-रसायन निवेश क्षेत्र संबंधी एक कार्य-दल का गठन किया है। यह कार्य-दल विश्वस्तर के विकासकर्ताओं को शामिल करके क्षेत्र विशिष्ट निवेश क्षेत्रों के विकास के लिए एक नीतिगत ढांचा तैयार करेगा जो प्रत्येक स्थान पर 10 बिलियन डालर तक का निवेश आकर्षित कर सकता है।

तीव्र आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाएं। विनिर्माण क्षेत्र को रोजगार और आर्थिक वृद्धि के लिए मुख्य प्रेरक शक्ति बनाने हेतु मेरी सरकार का इरादा एक दस वर्षीय राष्ट्रीय विनिर्माण कार्यक्रम प्रारंभ करने का है। वस्त्र और परिधान, चमड़ा और चमड़े की वस्तुएं, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर और इलैक्ट्रॉनिक तथा ऑटो कलपुर्जों जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों पर बल दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर, आउटसोर्सिंग, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल समेत हमारे गतिशील सेवा क्षेत्रों के विकास पर गहन ध्यान दिया जाएगा, ताकि बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें। हम एक नीतिगत ढांचा भी तैयार करेंगे जो हमारे समग्र राष्ट्रीय हित का ध्यान रखते हुए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करे। अनावश्यक बाधाओं और अप्रचलित प्रतिबंधों को हटाने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति को तर्कसंगत बनाने के लिए उपयुक्त निर्णय लिए हैं।

माननीय सदस्यगण,

यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे गणराज्य के प्रत्येक नागरिक को यह जानने का अधिकार हो कि सरकारी कार्यक्रम कैसे कार्यान्वित किए जा रहे हैं, सभी स्तरों पर सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए हम एक पथप्रवर्तक विधान लाए। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एक ऐतिहासिक विधान है। सरकार की कार्यप्रणाली में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करके यह विधान भ्रष्टाचार कम करने में मदद करेगा।

शासन के साधनों और प्रक्रियाओं में सुधार लाना मेरी सरकार की सुधार कार्यसूची का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमने यह प्रक्रिया बिल्कुल शीर्ष स्तर से शुरू करने के लिए कई उपाए किए हैं। वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की विद्यमान पद्धति के स्थान पर कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों और प्रख्यात व्यक्ति समूह द्वारा मूल्यांकन की नई पद्धति रखी गई है। मेरी सरकार वरिष्ठ सिविल सेवकों के लिए नए मापदण्ड पर आधारित प्रोन्नतियों और त्वरित पैनलीकरण प्रक्रिया के साथ करिअर-मध्य प्रशिक्षण प्रणालियां लागू कर रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अच्छे शासन के प्रति उनके कार्य-निष्पादन और प्रतिबद्धता के लिए सर्वोत्तम को ही पुरस्कृत किया जाए, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए करिअर-मध्य जांच के आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति गैर-प्रोन्नति पद्धति लाई जाएगी। सिविल सेवकों में अच्छे शासन के प्रति पहल, दक्षता, ईमानदारी और प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए मेरी सरकार ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार आरंभ किए हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए छठा वेतन आयोग गठित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

मेरी सरकार ने सभी स्तरों पर सरकारी तंत्र की व्यापक समीक्षा करने और लालफीताशाही को समाप्त करने के लिए एक प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया है और इस प्रकार राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में दिए गए एक वचन को पूरा किया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कार्य करना शुरू कर दिया है और आशा है कि यह आपदा के न्यूनीकरण तथा प्रबंधन प्रयासों के समन्वय और नियोजन में सफल भूमिका अदा करेगा।

हमारी न्याय प्रणाली में सुधार लाने की आवश्यकता है। सभी स्तरों पर न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या को घटाने तथा मामलों पर निर्णय करने में लिए जाने वाले समय को कम करने की आवश्यकता है। इस बात की भी अत्यधिक आवश्यकता है कि सभी नागरिकों को न्याय सुगम और बोधगम्य तरीके से मिले। मेरी सरकार, अधिक न्यायालयों, प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटरीकरण के प्रयोग, उन्नत प्रक्रियाओं और स्थानीय न्यायालयों की स्थापना द्वारा इन मामलों को हल करने के प्रस्तावों पर कार्य कर रही है।

हमारी निर्वाचन पद्धति दोषमुक्त रही है और हमारे राष्ट्र को इस पर गर्व है। तथापि, सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, विशेषकर निर्वाचन प्रक्रिया को अपराधमुक्त बनाने, निर्वाचन प्रक्रिया को गंभीरता से न लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या घटाने तथा निर्वाचन अधिकारियों को और अधिकार देने में। मेरी सरकार इन सभी क्षेत्रों में प्रस्तावों पर कार्य कर रही है।

25 मिशन मोड परियोजनाओं के साथ एक राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना तैयार की गई है। एक राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान स्थापित किया जा रहा है और 2007 तक सभी राज्यों में एक राज्यवार एरिया नेटवर्क सृजित किया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक समिति के समग्र निर्देशों के अंतर्गत 13,348 जिलों और अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण की एक योजना अलग से शुरू की गई है। भारतीय फर्मों को विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने तथा कंपनी विधि की अपेक्षाओं का आसानी से अनुपालन संभव बनाने के लिए एम.सी.ए.-21 नामक एक पथप्रवर्तक ई-गवर्नेंस कार्यक्रम इस वर्ष प्रारंभ किया जा रहा है।

मेरी सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य सामाजिक और शैक्षिक तौर से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में संविधान में संशोधन किया है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और धार्मिक अल्पसंख्यकों को सामाजिक और आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए मेरी सरकार द्वारा पेश किए गए कई विधेयकों पर संसद में भी विचार विमर्श हो रहा है। मेरी सरकार ने आदिवासी लोगों को उस भूमि पर अधिकार प्रदान करने के लिए एक युगांतरकारी कानून बनाया है जो सदियों से उनके कब्जे में रही है। सरकार में भरे न गए आरक्षित पदों के बैकलॉग को एक द्रुत कार्यक्रम के अंतर्गत तेजी से कम किया जा रहा है। शैक्षिक पदों और उच्च शोध अध्ययन के लिए चयन हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को तैयार करने के लिए मेरी सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत प्रति वर्ष 2000 शिक्षावृत्तियों का वित्तपोषण किया जाएगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों की निजी खेती भूमि के सुधार का प्रावधान है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों की भूमि के लिए लघु सिंचाई योजनाएं शुरू करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने का एक विशेष कार्यक्रम आरम्भ किया है।

मेरी सरकार ने एक नया अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय बनाया

है ताकि धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित सभी अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके। एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग बनाया गया है। आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया गया है। न्यायमूर्ति राजिन्दर सच्चर की अध्यक्षता में एक समिति अल्पसंख्यकों की स्थिति का गहन अध्ययन कर रही है और आशा है कि यह उनका आर्थिक और सामाजिक विकास करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए उपायों की सिफारिश करेगी।

अल्पसंख्यकों के लिए एक नया 15 सूत्री कार्यक्रम बनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से गरीबों का सामाजिक उत्थान करना, मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण करना और उद्यमशीलता के विकास और स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना होगा। मेरी सरकार साम्प्रदायिक हिंसा, साम्प्रदायिक अपराधों को रोकने और साम्प्रदायिक दंगों के शिकार लोगों का पुनर्वास करने के लिए सांविधिक उपाय प्रस्तावित करना चाहती है।

माननीय सदस्यगण,

मेरी सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं कि राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में महिलाओं को पूर्ण समानता दिलाने का वचन पूरा हो। सम्पत्ति में महिलाओं को समान विरासत अधिकार देने के लिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में संशोधन किए गए हैं। सरकार संरक्षक और प्रतिपालन अधिनियम, 1890, हिन्दू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम, 1956 और हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 में से विभेदकारी प्रावधानों को हटाने के लिए उनमें संशोधन करने पर भी विचार कर रही है। विवाह के अनिवार्य पंजीकरण हेतु एक विधेयक पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। निकट भविष्य में संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलना संभव हो सके, इसके लिए मेरी सरकार हरेक प्रयास करेगी।

महिलाओं और बच्चों की समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक नया महिला और बाल विकास मंत्रालय सृजित किया गया है। बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य-योनजा अनुमोदित की गई है और बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को सुरक्षित, स्वस्थ और सुखद बचपन के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल भी मिले। कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह योजना हाल ही में अनुमोदित की गई है। इसमें बच्चों के लिए लगभग 30,000 शिशुगृह स्थापित करने की योजना है। समन्वित बाल विकास सेवा योजना को सर्वव्यापक बनाया जा रहा है जिसके अंतर्गत लगभग 1.88 लाख अतिरिक्त आंगनवाड़ियां स्वीकृत की जा रही हैं। प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल सेवाओं, टीकाकरण, पोषाहार और आरम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा सेवाओं की व्यापक पहुंच के साथ इस कार्यक्रम की सर्वव्यापकता शिशु और मातृ मृत्युदर को कम करने की ओर एक बहुत बड़ा कदम होगा। कन्या भ्रूणहत्या को समाप्त करने तथा बालक-बालिका अनुपात में सुधार लाने के लिए हमें तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

माननीय सदस्यगण,

आपने महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने का एक व्यापक विधेयक पारित किया है। यौन शोषण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने पर एक विधेयक को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाना है। सती (निवारण) अधिनियम में भी शीघ्र उपयुक्त संशोधन किए जाएंगे। महिलाओं और बच्चों के अनैतिक व्यापार के विरुद्ध प्रावधानों को सुदृढ़ बनाने के लिए अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

महिलाओं के लिए और अधिक संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया गया है। इसमें अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर, सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व महिलाओं की गिरफ्तारी पर पाबंदी, बलात्कार की शिकार महिलाओं की 24 घंटे के भीतर तत्काल चिकित्सा जांच सुनिश्चित करने का प्रावधान, डी.एन.ए. परीक्षण और हिरासत में बलात्कार की घटनाओं की एक न्यायिक अथवा मैट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट द्वारा जांच शामिल है।

माननीय सदस्यों को ज्ञान अर्थव्यवस्था में निवेश के महत्व पर मेरे विचारों की जानकारी है। प्राचीन समय से हमारे समाज ने ज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया है। हमारे प्रजातंत्र के कारण हम ज्ञान के लाभों को व्यापक रूप में फैलाने में समर्थ रहे हैं। आज हम ज्ञान के युग से गुजर रहे हैं जिसमें प्रत्येक सामाजिक और आर्थिक गतिविधि ज्ञान से चलती है।

मेरी सरकार ने ज्ञान के युग के अनुकूल कुशलताओं और क्षमताओं से हमारे लोगों को संपन्न बनाने पर विशेषज्ञ राय लेने के लिए एक राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया था। हमें आशा है कि आयोग यह भी जांच कर सकेगा कि किस प्रकार हम भविष्य की उभरती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बना सकते हैं। आयोग की रिपोर्ट जल्दी ही आने वाली है। इस बीच, मेरी सरकार ने भारतीय विज्ञान संस्थान की तर्ज पर कोलकाता, पुणे और पंजाब में बुनियादी विज्ञान में उत्कृष्टता के नए केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है। मेरी सरकार सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में घरेलू अनुसंधान

एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पर्याप्त निवेश कर रही है ताकि भारत इस ज्ञान युग में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर सके। सहयोगी प्रयासों के जरिए ज्ञान के विकास एवं उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हम पूरे विश्व में अपने सहभागियों के साथ मिलकर कार्य करेंगे।

गत वर्ष एक लांग ट्रैक स्टीरियो इमेजिंग क्षमता वाला हाई रिजोल्यूशन कार्टोग्राफिक मैपिंग उपगृह - कार्टोसेट-1 जो कि अपने किस्म का विश्व में पहला है, हैमसेट के साथ छोड़ा गया था जो रिमोट सैंसिंग एंड एमैच्योर रेडियो आपरेशन में भारत की उत्कृष्टता को पुनः दृढ़ करता है। पी.एस.एल.वी.सी.-6 भी श्रीहरिकोटा में हाल ही में स्थापित अत्याधुनिक दूसरे प्रक्षेपण स्थल से छोड़ा गया था। दिसम्बर में छोड़ा गया इनसेट-4ए हमारे देश में डी.टी.एच. सेवाओं सहित प्रसारण अवसंरचना में क्रांति लाएगा। हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और दूरसंचार इंजीनियरों ने हमारे अध्यापकों, मीडिया कार्मिकों और सृजनात्मक व्यवसायिकों को अपेक्षित प्रौद्योगिकीय साधनों से सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है। इस सहस्फोट ने भारत को एक प्रमुख ज्ञान, मीडिया और मनोरंजन शक्ति के रूप में उभारा है। मेरी सरकार सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विकास के इस क्षेत्र में हमारी क्षमताओं को और सुदृढ़ बनाएगी। मनोरंजन उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी के साथ जुड़ता जा रहा है। इस क्षेत्र में हमारे अवसरों का और विस्तार करने के अर्थोपायों का पता लगाने के लिए हाल ही में सूचना, संचार और मनोरंजन संबंधी एक कार्यदल गठित किया है। इस ओर यदि पर्याप्त ध्यान दिया जाए तो, मुझे विश्वास है कि हमारे मनोरंजन क्षेत्र में विश्व स्तर प्राप्त करने और सर्वोत्तम से प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है। भारतीय मनोरंजन उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए मेरी सरकार कदम उठाएगी ताकि वह वैश्विक स्तर प्राप्त कर सके और अपनी पूर्ण क्षमता को साकार कर सके।

हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम हमारी सीमाओं के पार भी लाभप्रद रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान हमने पैन-अफ्रीकन-ई-नेटवर्क परियोजना पर काम शुरू कर दिया है जो कि इस महाद्वीप में डिजिटल अभाव को पूरा करेगा। सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में भारतीय विशेषज्ञता अफ्रीका के 53 देशों में भी उपलब्ध होगी।

मेरी सरकार, जीवजन्तु और वनस्पति की सभी प्रजातियों सहित हमारे पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए गहनता से बचनबद्ध है। वन-क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक नीतिबद्ध कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु और एक संकटापन्न प्रजाति है। गत वर्ष एक बाघ कार्यदल स्थापित किया गया था जिसके सुझावों पर कार्रवाई की जा रही है। मेरी सरकार, हमारे बाघ अभयारण्यों के और अधिक प्रभावी प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव करती है। इन शानदार जानवरों के शिकार को कम करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं में सामंजस्य के लिए पहली बार एक राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का प्रारूप तैयार किया गया है।

माननीय सदस्यगण,

मेरी सरकार ने उत्तर-पूर्व के लोगों के कल्याण के लिए अनेक उपाय किए हैं। स्थानीय कोयला और गैस का इस्तेमाल करके बोंगइगांव, डिब्रूगढ़ और त्रिपुरा में ताप विद्युत परियोजनाओं पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। इस क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में, विशेषरूप से अरुणाचल प्रदेश में, अवसंरचना और सड़क विकास को विशेष तरजीह दी जाएगी। त्वरित उत्तर-पूर्वी सड़क विकास परियोजना विचाराधीन है जो उत्तर-पूर्व में राज्यों की राजधानियों और जिला मुख्यालयों को जोड़ेगी और जिसमें ऐसे राष्ट्रीय और राज्य के राजमार्गों के अन्य खंडों का उन्नयन शामिल है जो इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

मेरी सरकार, उत्तर-पूर्व के लिए संसाधनों के गैर-व्यपगमनीय केन्द्रीय पूल के अंतर्गत प्रक्रियाओं की समीक्षा करने और उन्हें सुचारु बनाने पर सक्रियता से कार्य कर रही है। उत्तर-पूर्व के लिए एक नई औद्योगिक नीति शीघ्र ही घोषित की जाएगी। एक उत्तर-पूर्व स्वास्थ्य पैकेज भी विकसित किया जा रहा है और उसे यथाशीघ्र लागू किया जाएगा। उत्तर-पूर्व के विद्यार्थियों और कामकाजी महिलाओं को उनके राष्ट्रीय राजधानी में रहने के दौरान पेश आ रही समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से दिल्ली विश्वविद्यालय में 500 बिस्तरों का महिला छात्रावास और कामकाजी महिलाओं के लिए 500 बिस्तरों का आवास अनुमोदित किया गया है। मेरी सरकार त्रिपुरा में एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझाड़ में एक केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, और उत्तर-पूर्व में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करेगी। प्रस्तावित उत्तर-पूर्वी जल संसाधन प्राधिकरण से इस क्षेत्र में, विशेषतः अरुणाचल प्रदेश में जल-विद्युत सृजन क्षमता का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होने की आशा है। उत्तर-पूर्वी परिषद को पुनः कार्यशील बनाया गया है और भारत-बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाने के काम में तेजी लाई जा रही है।

माननीय सदस्यगण,

मैं आपको सहर्ष सूचित करता हूं कि जम्मू और कश्मीर के लिए 24,000 करोड़ रुपए का पैकेज सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है और कई क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति हुई है। राज्य में

भूकंप की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में केन्द्र और राज्य सरकार की एजेंसियों और पूरे समाज की प्रतिक्रिया सराहनीय रही। पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता सीधे ही प्रभावित लोगों में वितरित करने के सरकार के साहसिक निर्णय की लोगों ने सराहना की है। अद्यतन रिपोर्टों के अनुसार, अधिकांश पुनःस्थापन कार्य लगभग पूरा हो चुका है। पूरे देश की अन्य राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों से काफी मात्रा में सहायता मिली। श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा सामान्य रूप से चल रही है और इस बारे में मेरी सरकार की पहल की, विशेषरूप से जम्मू व कश्मीर के लोगों द्वारा चहुंमुखी सराहना की गई है। मैं शांति के प्रति इस राज्य की जनता के संकल्प की हार्दिक सराहना करता हूं जिससे शांति प्रक्रिया तथा बुनियादी स्तर पर स्थिति को सामान्य बनाने में अत्यधिक बल मिला है।

माननीय सदस्यगण,

मेरी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति गहनता से प्रतिबद्ध रही है और इसने उग्रवादियों और अन्य राष्ट्रविरोधी शक्तियों से मुस्तैदी से निपटते हुए हमारे समाज के असंतुष्ट वर्गों तक पहुंचने की एक द्विमुखी नीति अपनायी है। देश में, विशेषरूप से जम्मू व कश्मीर और उत्तर-पूर्वी राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। गत वर्ष के दौरान, जम्मू व कश्मीर और उत्तर-पूर्व, दोनों में नागरिकों के मारे जाने और लोगों के अपहरण की घटनाओं की संख्या में कमी आई है। सरकार दोनों क्षेत्रों में अनेक राजनीतिक समूहों से सर्वोच्च स्तर पर भी वार्ता में संलग्न है। ये वार्ताएं रचनात्मक रूप से आगे बढ़ी हैं तथा हमारे कुछ लोगों में विद्यमान अलगाव की भावना को दूर करने में योगदान कर रही हैं।

मेरी सरकार ने सभी राजनैतिक समूहों से बात करने की इच्छी भी प्रकट की है ताकि उनकी वास्तविक अथवा काल्पनिक शिकायतों का निपटारा किया जा सके। इसके साथ ही मेरी सरकार आतंकवाद, उग्रवाद और कट्टरवाद का मुकाबला करने और विधि का शासन बनाए रखने के संकल्प प[illegible] है। हमने अपनी राष्ट्रीय राजधानी और भारतीय वि[illegible] संस्थान बंगलौर जैसे ज्ञान मंदिर सहित देश के विभि[illegible] भागों में आतंकवादी हमलों से निपटने में तेजी से कार्रवाई की है। एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक समेत अनेक बेकसूर नागरिकों की हत्या से मैं अत्यधिक आहत और दुखी हुआ हूं। यह सरकार दोषी को सजा दिलाने में बिना किसी भय और पक्षपात के कार्रवाई करेगी और आतंकवाद के खिलाफ निरंतर युद्ध जारी रखेगी। हम समस्त विश्व के उन सभी देशों के साथ मिलकर काम करेंगे जो इस युद्ध के लिए कृतसंकल्प हैं।

माननीय सदस्यगण,

राष्ट्र को अपनी सशस्त्र सेनाओं पर गर्व है। मेरी सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा की जरूरतों और पूर्व सैनिकों के कल्याण की ओर नए सिरे से ध्यान दिया है। पूर्व सैनिकों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने और हमारे बहादुर जवानों के परिवारों की सहायता करने हेतु भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग सृजित किया गया है। हमने अपने उन पूर्व सैनिकों, विशेषतः अपने जवानों, जो 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए, के लिए एक बेहतर पेंशन योजना अनुमोदित की है, जिससे एक मिलियन से अधिक पूर्व सैनिकों को लाभ पहुंचेगा। प्रणालीबद्ध तरीके से रक्षा ढांचे का आधुनिकीकरण करके सरकार ने अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाया है। अपने कार्यनीतिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए और अपने प्रौद्योगिकीय कौशल के आधार पर यह दृष्टिकोण आने वाले वर्षों में हमारा मार्गदर्शन करेगा।

माननीय सदस्यगण,

मेरी सरकार की विदेश नीति सदा की भांति राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यह हमारे नीतिगत चयन को विस्तृत करने के अनुकूल रही है। मेरी सरकार ने हमारे पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण और सहयोगी संबंध स्थापित करने और दक्षेस को सुदृढ़ करने के लिए जोरदार प्रयास किए हैं। भारत क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षेस को एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में मानता है और हम आठवें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान के दक्षेस में शामिल होने की आशा करते हैं। पहली जनवरी, 2006 को साफ्टा का प्रभावी होना एक ऐतिहासिक घटना थी। भारत को अगला शिखर सम्मेलन आयोजित करने का अवसर मिला है और इस संदर्भ में अनेक पहलें की जाएंगी जो हमने प्रस्तावित की हैं।

मेरी सरकार ने हमारे सभी पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए अनेक उपाय किए हैं। अगस्त, 2005 में प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक अफगानिस्तान यात्रा ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सहायता करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया है। पाकिस्तान सहित हमारे सभी पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और लोगों के आपसी संपर्क में भी अच्छी प्रगति हुई है। पाकिस्तान में भूकंप के शिकार लोगों के लिए भारत के लोगों की उमड़ी सहानुभूति और सहायता, दोनों देशों के लोगों के बीच सद्भाव को रेखांकित करती है। जहां हम घुसपैठ और सीमापार आतंकवाद से चिंतित रहते हैं और इस संबंध में पाकिस्तान से उनकी प्रतिबद्धताएं पूरी करने की आशाएं करते हैं, वहां हम पाकिस्तान के साथ संयुक्त वार्ता प्रक्रिया के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। अमृतसर और लाहौर तथा अमृतसर और ननकाना साहिब के बीच नए बस संपर्क की

शुरूआत तथा खोखरापार-मुनाबाव रेल संपर्क की शुरुआत हमारे दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संपर्क को बढ़ावा देने में अगले कदम हैं।

हम अपने वैश्विक आर्थिक भागीदारों के साथ संबंध सुदृढ़ करने को अत्यधिक महत्व देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारे संबंधों से 2005 में महत्वपूर्ण रूपान्तरण हुआ है और हम प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के 18 जुलाई के संयुक्त वक्तव्य के आधार पर अपनी कार्यनीतिक भागीदारी को आगे बढ़ाते हैं। सरकार आशा करती है कि देश संयुक्त वक्तव्य में निहित भारत और अमेरिका की आपसी प्रतिबद्धताओं के आधार पर असैनिक नामिकीय ऊर्जा क्षेत्र के विस्तार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त कर सकता है। इस सत्र में इस विषय पर चल रहे विचार विमर्शों से संसद को अवगत कराया जाएगा। भारत-अमेरिका संबंध में और अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे भी सम्मिलित हैं। निवेश, व्यापार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के विस्तार को बढ़ावा देने, कृषि, स्वास्थ्य और मानव संसाधन विकास में, ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग को बढ़ाने, रक्षा सहयोग के लिए एक ढांचे और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रमुख पहलें की जा रही हैं।

रूस के साथ एक व्यापक संबंध पुनः स्थापित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मेरी सरकार काम करती रही है। रूस के साथ समय की कसौटी पर खरी उतरी हमारी मित्रता के जरिए तेल और गैस, व्यापार एवं निवेश, नामिकीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, उच्च प्रौद्योगिकी और रक्षा के क्षेत्रों में सहयोग के व्यापक संबंधों में वृद्धि और विकास हुआ। रूस की मेरी राजकीय यात्रा, प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति के बीच वार्षिक शिखर बैठक और बड़ी संख्या में मंत्रिमंडल स्तरीय विचार-विनिमय से इसे बल मिलेगा। सरकार को आशा है कि आने वाले दिनों में, विशेषतया सामरिक महत्व के क्षेत्रों में हमारे संबंध और सुदृढ़ होंगे।

अप्रैल, 2005 में चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ की यात्रा के दौरान बनाई गई हमारी सामरिक और सहकारी साझेदारी के आधार पर चीन के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। अप्रैल, 2005 में हस्ताक्षरित राजनीतिक मापदण्डों एवं मार्गदर्शक सिद्धांतों संबंधी करार के आधार पर, सीमा के प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों के मध्य, चर्चा के दूसरे चरण में एक सकारात्मक शुरूआत की जा चुकी है और हमें आशा है कि यह प्रक्रिया और जोर पकड़ेगी।

यूरोपीय संघ और इसके 25 सदस्य राष्ट्रों के साथ हमारे संबंध काफी बढ़े हैं। सर्वोच्च स्तरीय नियमित विचार-विनिमय के माध्यम से भारत की फ्रांस, जर्मनी और यूनाईटेड किंगडम के साथ कार्यनीतिक भागीदारियां हैं। गत वर्ष प्रधानमंत्री ब्लेयर ने एक सफल यात्रा की जिससे दोनों देशों के मध्य संबंध और सुदृढ़ हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति की आगामी यात्रा से यह अपेक्षा की जाती है कि उससे इस महत्वपूर्ण और प्रभावशाली मित्र के साथ हमारे संबंध को नया बल मिलेगा।

क्वालालमपुर में आयोजित ऐतिहासिक पूर्व-एशिया शिखर सम्मेलन, जिसमें भविष्य के क्षेत्रीय संगठन के निरूपण की क्षमता है, में भागीदारी से भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी और मजबूत हुई है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री महामहिम श्री ली हसाइन लूंग ने जून, 2005 में भारत की राजकीय यात्रा की जिसके दौरान सिंगापुर और भारत ने एक व्यापक आर्थिक सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए और यह अब एक आधार दस्तावेज बन चुका है। इस क्षेत्र के साथ हमारा सक्रिय तालमेल है, हम इंडोनेशिया के राष्ट्रपति तथा थाईलैंड के प्रधानमंत्री की मेजबानी कर चुके हैं। हाल में, मैंने खुद सिंगापुर, फिलीपींस और कोरिया गणराज्य की राजकीय यात्राएं कीं जिससे हमारे संबंध उनसे और घनिष्ठ हुए।

जापान से हमारे संबंध उच्चस्तरीय तालमेल और वार्ता से और सशक्त हुए हैं। अप्रैल, 2005 में जापान के प्रधानमंत्री की यात्रा से भारत और जापान के मध्य वैश्विक साझेदारी को एक नई दिशा मिली और द्विपक्षीय एवं वैश्विक मुद्दों पर घनिष्ठ एवं सहयोगी संबंधों की हमें आशा है।

मेरी सरकार खाड़ी क्षेत्र के उन देशों, जो 4 मिलियन से अधिक भारतीयों का घर बन चुके हैं और जो हमें तेल और गैस की आपूर्ति करने वाले प्रमुख स्रोत भी हैं, के साथ हमारे संबंधों पर गहन ध्यान दे रही है। दोनों पवित्र मस्जिदों के संरक्षक, सऊदी अरब के महामहिम सुलतान का गणतंत्र दिवस समारोह, 2006 में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मान करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस यात्रा ने एक नया रास्ता खोल दिया है और हमारे पारंपरिक संबंधों को बढ़ाया है। अप्रैल, 2005 में कतर के अमीर ने तथा उसके बाद हाल में वहां की प्रथम महिला ने भारत की यात्रा की। हम पश्चिम एशियाई मुद्दों को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं तथा फिलिस्तीनी जनता द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का एक न्यायोचित एवं स्थायी समाधान ढूंढने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदायों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करते हैं ताकि वे अपना स्वयं का राष्ट्र प्राप्त कर सकें। साथ ही, हम इजरायल के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं और उन्हें सुदृढ़ बनाने एवं उनमें विविधता लाने की आशा करते हैं।

गत वर्ष, भारत के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण में एक विशेष परिवर्तन आया तथा भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक प्रभावशाली पात्र के रूप में पहचान मिली। एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के रूप

में हमारा उदय, आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन के अनुसार ढलने की हमारी योग्यता और वैश्विक एवं क्षेत्रीय उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने की हमारी क्षमता के कारण हमें यह मान्यता मिली। इस बदले हुए दृष्टिकोण के लिए प्रवासी भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और मेरी सरकार ने भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए प्रवासी नागरिकता स्कीम प्रारंभ करके उनके योगदान को स्वीकार किया है। हम अनिवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार प्रदान करने की योजना भी बना रहे हैं। हम आशा करते हैं कि 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करके तथा 2012 के एशियाई खेलों के आयोजन का दावा प्रस्तुत करके, हम संपूर्ण विश्व में अपना कद और ऊंचा कर सकेंगे।

माननीय सदस्यगण,

अंत में, मैं उसी विचार पर आता हूं जिससे मैंने अपनी बात शुरू की थी। 21वीं सदी में हमारा देश राष्ट्रों के समूह में अपना सही स्थान पुनः प्राप्त करके ही रहेगा। तथापि, इस क्षमता को मूर्तरूप देने तथा हमारी जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत कुछ ऐसा है जो हमें अपने घर में ही करना है। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के जरिए ऐसा करने के लिए मेरी सरकार कृतसंकल्प है।

आज अर्थव्यवस्था बेहतर निष्पादन को बनाए रखने की स्थिति में है। मेरी सरकार का विश्वास है कि यदि हम ऐसी नीतियां तैयार करेंगे जो हमारी जनता की क्षमताओं का उपयोग करेंगी तथा उनकी रचनात्मकता और उद्यमशीलता के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगी तो लोग भी यथेष्ट प्रत्युत्तर देंगे। इसके लिए सुशासन की आवश्यकता है। सुशासन का आज अर्थ है - सरकारी धन का ऐसे क्षेत्रों में कारगर उपयोग करना जिनमें सरकार को निवेश करना चाहिए और उन क्षेत्रों में सरकार का कम हस्तक्षेप होना जहां व्यक्ति विशेष ज्यादा उपलब्धि अर्जित कर सकें। कोई भी देश नोट छाप कर या अत्यधिक ऋण लेकर समृद्ध नहीं हो सकता। केवल कठोर परिश्रम, उच्चतर उत्पादकता और मानव, प्राकृतिक और वित्तीय संसाधनों के विवेकी प्रबंधन के जरिए समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। मेरी सरकार जन उपयोगिताओं और उपक्रमों के कुशल प्रबंधन तथा सुधार लागू करने के लिए सभी दिशाओं में सरकारी धन के न्यायोचित प्रबंधन हेतु प्रतिबद्ध है। साथ ही, साम्प्रदायिक सद्‌भावना बनाए रखने और एक संगठित समाज को बढ़ावा देने की आवश्यकता है जिसमें समाज का हरेक वर्ग अपने भविष्य के बारे मेंस्वयं को सुरक्षित, सशक्त और आश्वस्त महसूस करे। मेरी सरकार ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए वचनबद्ध है जिससे हमारे लोगों में छिपी क्षमता बाहर आ सके और हम अपने सपनों के नए भारत का निर्माण कर सकें।

माननीय सदस्यगण,

संसद का यह एक महत्वपूर्ण सत्र है। हमारे देश के लोग, जिन्होंने अपने प्रतिनिधियों के रूप में आपको यहां भेजा है, हार्दिक आशा करते हैं, कि उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आप उपलब्ध समय का सर्वोत्तम उपयोग करेंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पर परिपक्व विचार-विमर्श हेतु अपनी ऊर्जा लगाएंगे और देश और हमारे नागरिकों के सर्वोत्तम हितों के अनुरूप कार्य करेंगे। समय मूल्यवान है, कृपया इसे नष्ट न करें। जनता की सेवा में आपके सच्चे प्रयासों में सफलता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

जय हिन्द।

अपराह्न 12.22½ बजे

मंत्रियों का परिचय

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री (डा. मनमोहन सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आपको और आपके माध्यम से इस सम्माननीय सभा को हाल ही में मंत्रिपरिषद् में शामिल किए गए मेरे साथियों का परिचय देना चाहता हूं।

मंत्रिमंडल

श्री सुशील कुमार शिंदे	विद्युत मंत्री
श्री ए.आर. अंतुले	अल्पसंख्यक मामले मंत्री
श्री वायालार रवि	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री
श्री मुरली देवरा	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
श्रीमती अम्बिका सोनी - उपस्थित नहीं	
प्रो. सैफुद्दीन सोज	जल संसाधन मंत्री

श्री शिबु सोरेन	कोयला मंत्री

...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव - उपस्थित नहीं

श्री प्रेमचंद गुप्ता (मंत्रिमंडलीय स्तर का मंत्री बनाया गया)	कंपनी कार्य मंत्री
श्री कपिल सिब्बल (मंत्रिमंडलीय स्तर का मंत्री बनाया गया)	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री जी.के. वासन	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री पवन कुमार बंसल	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी	खान मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री आनन्द शर्मा	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अजय माकन	शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एम.एम. पल्लम राजू	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री चंद्रशेखर साहू	श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. अखिलेश दास	इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री जयराम रमेश	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री
श्री अश्विनी कुमार	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

अपराह्न 12.25 बजे

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मुझे सभा को कुवैत के अमीर और अपने तीन भूतपूर्व सहयोगियों सर्वश्री भगवान शंकर रावत, के.एस. चावड़ा और एस.ए. अगडि के दुःखद निधन की सूचना देनी है।

हमें कुवैत के अमीर महामहिम शेख जबर अल-अहमद अल-जबर अल-सबह के दुःखद निधन की सूचना मिली है। कुवैत की समृद्धि और विकास में शेख जबर का महत्वपूर्ण योगदान था। कुवैत ने एक महान नेता और विश्व ने एक बुद्धिमान राजनीतिज्ञ खो दिया है।

शेख जबर के शासनकाल में भारत और कुवैत के घनिष्ट संबंध थे। कुवैत में रह रहे भारतीय अप्रवासियों को उनकी कमी बहुत खलेगी।

यह सभा कुवैत के शासक परिवार, नेतृत्व और कुवैत की जनता को अपनी गहरी संवेदनाएं प्रेषित करती है।

श्री भगवान शंकर रावत वर्ष 1991 से 1999 तक दसवीं से बारहवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के आगरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक कुशल संसदविद् श्री रावत वर्ष 1993 से 1995 तक लोक लेखा समिति के सभापति रहे और सभा की विभिन्न संसदीय, परामर्शदात्री, संयुक्त और प्रवर समितियों के सदस्य भी रहे।

पेशे से वकील श्री रावत वर्ष 1974 से 1980 तक आगरा कलेक्ट्रेट बार एसोसियेशन के अध्यक्ष थे। वे वर्ष 1991 से 1992 तक कानूनी सहायता समिति, उत्तर प्रदेश के सदस्य भी रहे।

श्री रावत एक सक्रिय राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे वर्ष 1961 से 1962 तक आगरा कालेज विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष रहे। वर्ष 1999 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निधि की प्रबंधन समिति के सदस्य भी रहे। उन्होंने लोगों में एकता और सौहार्द बनाए रखने तथा विभिन्न सामाजिक बुराईयों का उन्मूलन करने के लिए कार्य किया।

एक शिक्षाविद् के रूप में उन्होंने साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संगोष्ठियां आयोजित कीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें 1978 से 1983 तक आगरा महाविद्यालय, आगरा न्यास के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया। उन्होंने 1985 से 1997 तक आगरा विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य के रूप में और 1986 से 1996 तक इसकी कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया।

उन्होंने अनेक देशों की यात्रा की। श्री रावत विदेश जाने वाले विभिन्न संसदीय शिष्टमंडलों के सदस्य रहे।

श्री भगवान शंकर रावत का निधन 65 वर्ष की आयु में 31 दिसम्बर, 2005 को आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ।

श्री के.एस. चावड़ा वर्ष 1971 से 1979 और 1989 से 1991 तक पांचवीं, छठी और नौवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने गुजरात के पाटन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व श्री चावड़ा गुजरात राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए 1960 से 1971 तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे। श्री चावड़ा 1952 से 1957 तक तत्कालीन बॉम्बे विधानसभा के सदस्य भी रहे।

एक योग्य संसदविद्, श्री चावड़ा ने सभा की विभिन्न संसदीय, परामर्शदात्री तथा संयुक्त समितियों के सभापति तथा सदस्य के रूप में कार्य किया।

एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता, श्री चावड़ा ने 1938 से 1942 तक राष्ट्रीय आंदोलन के भाग के रूप में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित विकास मंदिर के अध्यापक के रूप में कार्य किया। वह 1947 से 1951 तक मेहसाना प्रांत अंत्यज युवक मंडल के अध्यक्ष रहे। श्री चावड़ा ने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया।

श्री चावड़ा साहित्य प्रेमी थे और उनके गुजराती तथा हिन्दी, दोनों भाषाओं में कई प्रकाशन मुद्रित हुए। वह गुजराती पाक्षिक तथा साप्ताहिक पत्रिकाओं क्रमशः 'टंकार' और 'अभ्युदय' के सम्पादक भी रहे।

श्री चावड़ा ने अनेक देशों की यात्राएं की थीं। उन्होंने शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में 1978 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा, न्यूयार्क और 1980 में कान्फ्रेंस ऑफ पीपल फॉर वर्ल्ड पीस, सोफिया, बल्गारिया में भाग लिया।

श्री के.एस. चावड़ा का निधन 3 जनवरी, 2006 को 87 वर्ष की आयु में अहमदाबाद में हुआ।

श्री एस अगडि ने दूसरी और चौथी लोक सभा में क्रमशः 1957 से 1962 तक और 1967 से 1970 तक तत्कालीन मैसूर के कोप्पल संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री अगडि 1964 से 1967 तक तत्कालीन मैसूर विधान परिषद के सदस्य रहे।

श्री अगडि ने वर्ष 1960 से 1962 तक गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया।

गांधीवादी सिद्धांतों के प्रतिबद्ध पक्षधर श्री अगडि एक सक्रिय समाजसेवी थे।

व्यवसाय से कृषक और व्यापारी श्री अगडि तालुक कृषि उत्पाद सहकारिता समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने सहकारी कपड़ा मिल, रायचूर के निदेशक के रूप में भी काम किया।

श्री अगडि कर्नाटक हिन्दी प्रचार सभा, धारवाड़ की कार्यपालक समिति के सदस्य; दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के आजीवन सदस्य; गवि सिद्धेश्वर उच्च विद्यालय, कोप्पल के संस्थापक सदस्य होने के अतिरिक्त कई व्यापार संघों से जुड़े हुए थे। पुरातत्व में उनकी गहरी अभिरुचि थी और वह रायल एशियेटिक सोसाइटी के सदस्य थे।

श्री एस.ए. अगडि का निधन 4 फरवरी, 2006 को कोप्पल,

कर्नाटक में 100 वर्ष की आयु में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मैं अपनी तथा सभी की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

सभा अब दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर मौन खड़ी होगी।

अपराह्न 12.31 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अपराह्न 12.32 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के अंतर्गत 23 जनवरी, 2006 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) अध्यादेश 2006 (2006 का संख्यांक 1) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखी गयी, *देखिए* सं. एल.टी. 3671/2006)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): महोदय, मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (2006 का संख्यांक 1) के प्रख्यापन की आवश्यकता की परिस्थितियों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

(ग्रन्थालय में रखी गयी, *देखिए* सं. एल.टी. 3672/2006)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बधाई देता हूं। मैं आशा व्यक्त करता हूं कि आप और प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप करेंगे।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: सभा कल 17 फरवरी, 2006 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.33 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 17 फरवरी, 2006/28 माघ, 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3 श्रीराम मार्ग, साउथ मौजपुर, दिल्ली-110 053 द्वारा मुद्रित।